प्रमुख शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
राज्य मिशन निदेशक, अमृत एवं स्मार्ट सिटीज

सत्यमेव जयते

Principal Secretary to Government
Department of Local Self Government, Rajasthan
State Mission Director, AMRUT & Smart Cities

डॉ. मनजीत सिंह, आई.ए.एस.
Dr. Manjit Singh, I.A.S.

क्रमांक: एफ 55( )Engg./CE/DLB/17/42119-42152 दिनांक: 28.07.2017
01.08.2017

जिला कलेक्टर
समस्त राजस्थान।

विषयः— 71वें स्वतन्त्रता दिवस (15 अगस्त, 2017) के अवसर पर दिनांक 09 अगस्त, 2017 से 15 अगस्त, 2017 तक "खुले में शौच से आजादी" सप्ताह मनाये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— पूर्व विभागीय पत्रांक एफ 55( )Engg./CE/DLB/16/38384.574 दिनांक 18.07.2017 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) अन्तर्गत राज्य की समस्त नगरीय निकायों में खुले में शौच से आजादी सप्ताह दिनांक 09 अगस्त, 2017 से 15 अगस्त, 2017 तक आयोजित किया जाना है। जिसके अन्तर्गत नगरीय निकाय स्तर पर प्रतिदिन का IEC Action Plan संलग्न है। Action Plan में दी गई समस्त गतिविधियों में माननीय मंत्रीगण, स्थानीय नेतागण अन्य सम्मानित व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया जाकर **"खुले में शौच से आजादी"** कार्यक्रम को अधिक से अधिक आकर्षक बनाते हुये Mass Awareness के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास किये जाने है।

इस IEC Action Plan के आधार पर कार्यवाही हेतु दिनांक 5 अगस्त, 2017 तक अपने जिलों में तैयारियों हेतु एक बैठक का आयोजन करें एवं गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन के लिए अपने स्तर से निर्देश जारी करते हुये आयोजन पश्चात् पालना रिपोर्ट भी भिजवाने का कष्ट करें।

संलग्नः— नगरीय निकाय स्तरीय Action Plan

(डा. मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक: एफ 55( )Engg./CE/DLB/17/42153-42160 दिनांक: 01.08.2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

01. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), भारत सरकार शहरी विकास मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली—110011
02. निजी सचिव, सचिव पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, चतुर्थ फ्लोर, अन्त्योदया भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
04. निदेशक, स्वच्छता, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
06. प्राग्रोमर, निदेशालय विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
07. टीमलीडर, PMU स्वच्छ भारत मिशन, जयपुर।
08. सुरक्षित पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमरा नं. 8223, एसएसओ भवन, शासन सचिवालय, जयपुर —302005 फोन : 0141-2227128 फैक्स: 0141-2385885
Room No.-8223, SSO Building, Secretariat, Jaipur- 302005, Phone : 0141-2227128, Fax : 0141-2385885
ई—मेल : singhm10@ias.nic.in, secy-lsg-rj@nic.in

खुले में शौच से आजादी सप्ताह हेतु नगरीय निकायों का
IEC Action Plan (09 अगस्त, 2017 से 15 अगस्त, 2017)

9 अगस्त (बुधवार) नगरीय निकाय स्तर पर शिक्षा, चिकित्सा एवं बाल विकास विभाग के साथ IEC Action Plan को अन्तिम रूप देना एवं निकाय स्तर पर आदेश पारित करना एवं अपने–अपने कार्यालयों में स्वच्छता हेतु श्रमदान करना।	13 अगस्त (रविवार) वार्ड पार्षदों के साथ प्रभात फेरी एवं उस वार्ड के नागरिकों को खुले में शौच से आजादी हेतु समझाईश/वार्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन
10 अगस्त (गुरूवार) विशेष स्वच्छता अभियान के स्लोगन/जिंगल के साथ मैराथन दौड़ (समय प्रातः 06:00 से 08:00 बजे तक) विद्यालयों/महाविद्यालयों में स्वच्छता थीम पर गीत/नारे लेखन प्रतियोगिता का आयोजन	14 अगस्त (सोमवार) विद्यालयों में स्वच्छता पर वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन एवं पुरस्कार वितरण। चुने हुए प्रतिनिधियों/वरिष्ठ नागरिकों की स्वच्छता पर स्थानीय मिडिया से बातचीत।
11 अगस्त (शुक्रवार) स्थानीय जनप्रतिनिधी/चुने हुए प्रतिनिधि/वरिष्ठ नागरिक व गैर सरकारी संगठन आदि के द्वारा मौहल्ला विकास समितियों/परिसर/वार्ड/मौहल्ले में सफाई हेतु श्रमदान करना, महिला आरोग्य समिति/स्वयं सहायता समूह व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पार्क व मंदिरों में स्वच्छता पर चर्चा एवं श्रमदान	15 अगस्त (मंगलवार) झंडा रोहण के साथ स्वच्छता शपथ एवं नगरीय कार्यालय में श्रमदान, ठोस कचरा प्रबंधन, कचरे के पृथक्कीकरण, कम्पोस्ट आदि पर सामुहिक चर्चा एवं स्वच्छता पर श्रेष्ठ कार्य करने वाले मौहल्ला विकास समितियों/परिसर/वार्ड/समितियों/महिला आरोग्य समिति/स्वयं सहायता समूह व आंगनबाड़ी कार्यकओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन करना।
12 अगस्त (शनिवार) उच्च माध्यमिक स्तर के छात्र/छात्राओं के साथ बैठक/पेन्टिंग/स्लोगन प्रतियोगिता आदि का आयोजन करना एवं स्वच्छता के विडियोज जो www.swachhbharaturban.in पर उपलबब्ध है। उनको प्रसारित करना।	

1. प्रतिदिन नुक्कड़ नाटक/प्रत्येक वार्ड में 4–5 लोगों की टीम बनाकर
2. सप्ताह में एक बैठक का आयोजन। (महिला आरोग्य समिति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, गैर सरकार संगठन व मौहल्ला विकास समितियों की)
3. सप्ताह में एक कैम्प (घरेलू शौचालय आवेदन हेतु जिसमें एक जगह पर ही आवेदन की ऑनलाईन अपलोडिंग व वेरिफिकेशन होकर पहली किश्त जारी हो जाए)